

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2011—आश्विन 28, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

फा. क्र. 2393-2011-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री ए. के. मांदलिया, अपर कलेक्टर, अशोकनगर (म.प्र.) का स्थानांतरण जिला गुना (म.प्र.) हो जाने के फलस्वरूप श्री रविशंकर पटेल, अपर कलेक्टर, अशोकनगर (म.प्र.) को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये अपर जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.